



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 2 फरवरी 2015—माघ 13, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2015

क्र. एफ ए-3-7-2015-1-पांच (7).—मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वामियों को श्री विभु पुरी द्वारा निर्देशित फ़िल्म “हवाइजादा” के प्रदेश के सिनेमाघरों में प्रदर्शन पर, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से मनोरंजन कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है। सिनेमाघरों के स्वामी द्वारा इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से पूर्व में प्रचलित प्रवेश की दर को उतनी ही सीमा तक कम की जाएगी, जितनी राशि की छूट प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2015

क्र. एफ ए-3-15-2015-1-पांच .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-7-2015-1-पांच (7), दिनांक 2 फरवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव।

Bhopal, the 2nd February 2015

No. F-A-3-7-2015-1-V-(7).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Adhiniyam, 2011 (No. 11 of 2011), the State Government, hereby, exempts the Proprietors registered under the Act from the payment of entertainment tax under the Act in respect of screening of film “HAWAIZAADAA”, directed by VIBHU PURI, in cinema halls from the date of publication of this notification. The rate of admission prevailing prior to the issue of this notification shall be reduced by the proprietor of the cinema to the extent of the exemption granted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.